31

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 985—दो/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11—04—2008 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 337/2005—06/अपील

.....

कोमलसिंह पुत्र हॅसे बघेल
निवासी—ग्राम गुलालपुरा, तहसील व
जिला—भिण्ड(म0प्र0) .....आवेदक

विरूद्ध

रामप्रसाद पुत्र श्री बघेल
निवासी—ग्राम गुलालपुरा, तहसील व
जिला—भिण्ड(म0प्र0) .....अनावेदका

.....

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 9-8-16 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 337/2005—06/अपील में पारित आदेश दिनांक 11—04—2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम गुलालपुरा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका संयुक्त खाता क्रमांक 268, 269, 270, 274, एवं 273 कुल किता रकबा 1.64 है0 का बटवारा हेतु आवेदक द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन—पत्र नायब तहसीलदार, वृत्त ऊमरी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.07.2007 को बटवारा का आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश से व्यथित ओकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की, जो प्र0 क्र0 25/2005–06/अ.मा. में दर्ज होकर, दिनांक 13.03.2006 समाप्त कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.03.2006 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में पेश की गई । अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गय तथा अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11.04.2008 को राजीनामा का आवेदन निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे । अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र धाकड़ द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का अवलोकन नहीं किया गया है कि उभयपक्षों के मध्य बटवारे में राजीनामा के आधार पर केवल सर्वे नं0 274 में से मिन रकबा 4 बिस्बा अनावेदक को दिया गया है ओर सर्वे नं0 270 में से मिन रकबा 4 बिस्बा आवेदक को दिया गया है । उक्त राजीनामा आवेदन पत्र में उभयपक्षों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। अनावेदक व आवेदक के मध्य आपस में पूर्व में ही घरू बटवारा होकर अपने–अपने भाग पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है । आवेदक ने सर्वे नं0 274 के रकबा 0.33 है0 में से 4 बिस्बा भूमि जो अनावेदक के सर्वे नं0 273 से लगी हुई की तरफ 4 वि0 दिये जाने का आपसी राजीनामा के आधार पर ही अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा आदेश पारित किया गया था, जो विधिनुकूल है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने हेतु रखा जावे ।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालयों के अभिलेखा का अध्ययन किया गया। अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा राजीनामा आवेदन–पत्र तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में पेश किया गया । आवेदक ने राजीनामा आवेदन–पत्र में यह उल्लेख किया है कि सर्वे क्र0 270 में से अनावेदक को 4 बिस्बा की भूमि दी जा रही है, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आवेदक के

अधिवक्ता का तर्क है कि अपील अवधि बाह्य है । प्रकरण में लागू नहीं होता, क्योंकि राजीनमा आवेदन–पत्र न्यायालय में दिनांक 19.01.2006 को पेश किया गया है और उस दिन पीठासीन अधिकारी न्यायालय में मौजूद नहीं थे । चूँकि पीठासीन अधिकारी दिनांक 19.01.06 को न्यायालय में मौजूद नहीं तो पेशियां बढ़ाई गई और दिनांक 13.03.2006 को आदेश पारित किया गया, जिसकी सूचना अनावेदक को नहीं दी गई ।

6/ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी को राजीनामा आवेदन–पत्र स्वीकार करते समय आवेदन पत्र में लिखी भाषा अनावेदक को पढ़कर सुनाना चाहिये था, ताकि अनपढ़ व्यक्ति को राजीनामा करते समय कोई शंका न हो । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रत्यावर्तित करने में कोई भूल नहीं की है ।

उपरोक्त तथ्यों में प्रकाश डालने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2008 में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः उसे यथावत रखा जाता है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी निरस्त की जाती है । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर